



स्पाइसेस बोर्ड
भारत

**स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं
के लिए एलसी-एमएस/एमएस प्रणालियों की आपूर्ति**

फ़ाइल नं. : एसबी/क्यूईएल/कोच्ची/ एलसी-एमएस/एमएस/2019

तारीख : 27-11-2019

एमएसटीसीएल निविदा संख्या : *SPICEB/19-20/ET/6*

I. निविदा सूचना

निविदा सूचना

फाइल सं. एसबी/क्यूईएल/कोची/एलसीएमएसएमएस/2019

तारीख: 25-11-2019

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता में स्थित बोर्ड की तीन गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के लिए अत्याधुनिक एलसी-एमएस/एमएस प्रणालियों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए पात्र बोलीदाताओं से ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से एकल चरण :दो बोली प्रणाली (अलग-अलग तकनीकी और वाणिज्यिक बोली) के अंतर्गत बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

इस निविदा के लिए तकनीकी आवश्यकताओं और निबंधन व शर्तों के विवरण के साथ निविदा दस्तावेज स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com), सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) में और एमएसटीसीएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://www.mstcecommerce.com/>) पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। निविदाएं एमएसटीसीएल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए।

एमएसटीसीएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि **25-12-2019** को शाम **5:00** बजे तक है। सभी बोलियों को पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसका विस्तृत विवरण निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशों और निबंधन व शर्तों में उपलब्ध है। बोलियों को दो अलग-अलग भागों अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में ऑनलाइन जमा करना आवश्यक है। तकनीकी बोली 26-12-2019 को 10:00 बजे स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय में खोली जाएगी। जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियाँ योग्य पाई जाती हैं, उनकी वित्तीय बोलियाँ, बाद की तारीख में खोली जाएंगी।

हस्ताक्षर/-

सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची

II. विषय - सूची

| | | |
|------|--|----|
| I | निविदा सूचना | 1 |
| II | विषय - सूची | 2 |
| III | प्रस्तावना | 3 |
| IV | कार्य का विवरण | 3 |
| V | अनुबंध का कार्यक्षेत्र और विवरण | 3 |
| VI | पात्रता मापदंड | 4 |
| VII | निविदा अनुसूची | 4 |
| VIII | उपकरण का विवरण | 4 |
| IX | बयाना जमा राशि की आवश्यकता | 5 |
| X | निविदा की सामान्य शर्तें | 5 |
| XI | निविदा की विशिष्ट शर्तें - तकनीकी | 6 |
| XII | गारंटी और निष्पादन सुरक्षा | 7 |
| XIII | निविदा प्रारूप | 8 |
| XIV | निविदा दस्तावेजों में संशोधन | 8 |
| XV | निविदा का मूल्यांकन | 9 |
| XVI | तकनीकी बोली का मूल्यांकन - स्कोरिंग का तरीका | 10 |
| XVII | वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन | 11 |

अनुलग्नक 1क - 11

परिशिष्ट 1

III. प्रस्तावना

स्पाइसेस बोर्ड भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसका उद्देश्य भारत से मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। देश भर के विभिन्न उत्पादक केंद्रों में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने, भारत से निर्यात होने वाले मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने और मसाला क्षेत्र के पणधारियों अर्थात् व्यवसायी, किसान, अनुसंधान संगठनों आदि को विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए, 1990 में कोच्ची में बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी।

IV. कार्य का विवरण

स्पाइसेस बोर्ड एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट (<https://www.mstcecommerce.com>) पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता में स्थित गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (इसके बाद क्यूइएल के रूप में संदर्भित) को (प्रत्येक में एक उपकरण) आधुनिक एलसी-एमएस/एमएस सिस्टम (3 नग) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए पात्र बोलीदाताओं से दो-बोली प्रणाली में अलग-अलग लिफाफों में (अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, ऑनलाइन प्रस्तुति) बोलियां आमंत्रित कर रहा है। ऑनलाइन एमएसटीसीएल ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक 1 देखें। निविदा दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

इच्छुक बोलीदाता सभी कार्य दिवसों को नीचे दिए गए पते पर स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय से 10:00 से 17:00 बजे तक (भारतीय मानक समय) अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला

मसाला बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाइपास,

पालारिवट्टम पोस्ट, कोच्ची - 682025, केरल

दूरभाष: 04842333610 - 616, एक्स. 270, ईमेल: qel.sb-ker@gov.in

विस्तृत निविदा दस्तावेज खरीद पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com>, या स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट, www.indianspices.com. से डाउनलोड किया जा सकता है ।

बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 'बोलीदाता' के रूप में लॉग इन करने के बाद और स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले निर्देशों का पालन करते हुए बोलियां <https://www.mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन जमा करनी होंगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने के अधिक विवरण के लिए इस निविदा दस्तावेज का अनुलग्नक 1 देखें। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट तकनीकी बोली के सहायक दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में तैयार करने चाहिए और उन्हें तकनीकी बोली के साथ अपलोड करना चाहिए। अपूर्ण/अनुचित सहायक दस्तावेजों के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले निविदा के सभी निबंधन व शर्तों का अध्ययन कर लें।

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 25-12-2019 को शाम 5:00 बजे। बोलीदाता द्वारा निविदा शुल्क का भुगतान एमएसटीसी वेबसाइट (परिशिष्ट 1 का संदर्भ लें) पर किया जाना चाहिए। बयाना राशि को नीचे दिए गए ईएमडी अनुभाग के विस्तृत विवरण के अनुसार मूल रूप में जमा लिया जाएगा और जमा की गई बयाना राशि की स्कैन की गई कॉपी को सहायक दस्तावेजों के पीडीएफ में शामिल करना होगा।

V. निविदा का दायरा

कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता में स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में तीन एलसी एमएस/एमएस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जिनके तकनीकी विनिर्देश इस दस्तावेज के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित हैं। इन प्रयोगशालाओं का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:-

| | | |
|---|---|---|
| <p>वैज्ञानिक सी एवं प्रमुख, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, सुगंधा भवन, एन.एच. बाइपास, पालारिवट्टम पोस्ट, कोच्ची - 682025 दूरभाष: 0484-2333610 से 616 ईमेल: srilatha.cm@nic.in</p> | <p>वैज्ञानिक सी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, प्लॉट नंबर आर-11, सिपकोट औद्योगिक एस्टेट, नॉर्थ एंड रोड, गुम्मुडिपुंडी, तिरुवल्लूर जिला, चेन्नई - 601 201 दूरभाष: +91 9987048447 ईमेल: ranjith.a@nic.in, sbqelchennai@gmail.com</p> | <p>वैज्ञानिक ए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, स्पाइसेस बोर्ड, मार्फत परियोजना स्थल जिला मुख्यालय दक्षिण, बारुईपुर, 24 परगना, जेएल नंबर 48, एलआर खतियान नंबर 1311, मौजा चकरबार, पोस्ट और थाना बारुईपुर जिला दक्षिण 24-परगना, पश्चिम बंगाल 700144 दूरभाष: +91 97468 64939 ईमेल: venugopal.g@nic.in</p> |
|---|---|---|

VI. पात्रता मापदंड

1. बोलीदाता को एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जिसका 2016-17 से शुरू होने वाले पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम वार्षिक कारोबार पाँच करोड़ रुपये और उससे अधिक हो। बोलीदाता पिछले तीन वर्षों का लेखापरीक्षित तुलनपत्र प्रस्तुत करेगा।
2. बोलीदाता को संबंधित क्षेत्र (उच्चतम क्रोमैटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री सिस्टम की आपूर्ति और सेवा समर्थन) में न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसका प्रमाण तकनीकी बोली (उदाहरण के लिए संबंधित अवधि, 2014-2019 के दौरान खरीद आदेशों की प्रतियाँ) के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के भीतर भारत में कम से कम तीन समान/समरूप उपकरणों की आपूर्ति और स्थापित किया हुआ होना चाहिए। विवरण अनुलग्नक -4 में दिया गया है।
4. बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ जीएसटी पंजीकरण और पैन कार्ड की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
5. बोलीदाता को भारत के किसी भी सरकारी संगठन ने ब्लैकलिस्ट न किया गया हो। इस संबंध में एक घोषणा तकनीकी बोली (अनुलग्नक 5) के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
6. उपकरण को सफलता पूर्वक स्थापित करने के लिए बोलीदाता के पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से योग्य कर्मों और उद्भूत साधन के लिए आवश्यक सेवा समर्थन होने चाहिए। उपलब्ध तकनीकी रूप से योग्य और स्थापना स्थानों पर सेवा सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार (कोच्ची, चेन्नई और कोलकाता) कर्मियों की सूची का, तकनीकी बोली (अनुलग्नक 6) के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. बोलीदाता को अनुलग्नक 10 के अनुसार सभी उपकरणों और स्थापना स्थानों की व्यापक वारंटी और विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं के लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करना आवश्यक है।

केवल उपरोक्त विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली निविदाओं को योग्य और उत्तरदायी माना जाएगा।

VII. निविदा अनुसूची

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| निविदा पूछताछ सं. | एसबी/क्यूईएल/कोच्ची/एलसीएमएसएमएस/2019 |
| उपकरण का विवरण | एलसी एमएस/एमएस सिस्टम का पूरा पैकेज |
| निविदा शुल्क | 15,000/- रुपए |
| जमा बयाना राशि | 12,00,000 रुपए |
| निविदा की वैधता | 180 दिन |
| प्रकाशन की तिथि | 25 नवम्बर, 2019 |
| स्पष्टीकरण की तारीख | 25. नवम्बर, 2019 |
| स्पष्टीकरण की अंतिम तिथि | 15 दिसम्बर, 2019 |
| बोली जमा करने की तिथि | 1 दिसम्बर, 2019 |
| बोली जमा करने की अंतिम तिथि | 25 दिसम्बर, 2019 |
| तकनीकी बोली खोलने की तारीख | 26 दिसम्बर, 2019 |

VIII. उपकरण का विवरण

| | उपकरण | परिमाण | तकनीकी निर्देश |
|---|---|--------|----------------------|
| 1 | एलसी एमएस/ एमएस प्रणाली, सम्पूर्ण पैकेज | 3 | अनुलग्नक-1 के अनुसार |

| | नई प्रणालियों की स्थापना के लिए स्थान (कृपया विवरण के लिए ऊपर अनुभाग V देखें) | वापस खरीदारी के अंतर्गत प्रस्तावित एलसी एमएस/ एमएस | |
|--|---|--|----------------------------------|
| | | स्थान | मॉडल |
| | क्यूईएल कोच्ची | क्यूईएल कोच्ची | AB Sciex API 2000 x 3 अदद |
| | क्यूईएल चेन्नई | क्यूईएल मुंबई | AB Sciex API 2000 x 1अदद |
| | क्यूईएल कोलकाता | | |

कृपया इस निविदा में वापस खरीद के अंतर्गत दिए गए उपकरणों के लिए परिशिष्ट 1, खंड III देखें।

IX. बयाना राशि की आवश्यकताएँ

बोलीदाताओं को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोच्ची में देय "सचिव, स्पाइसेस बोर्ड" के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निविदा के साथ 12,00,000 रुपए (प्रति उपकरण 4,00,000 रुपए कुल तीन उपकरण) के बराबर बयाना राशि जमा करनी चाहिए। बयाना राशि तीन महीने के लिए वैध होगी। बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी।

1. जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से बयाना राशि के भुगतान से छूट न दी जाए, जिसके कारणों और प्रमाण को संलग्न करना होगा, बयाना राशि के बिना जमा की गई तकनीकी बोली को खारिज कर दिया जाएगा।
2. असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि निविदा खोलने की तिथि से 45 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
3. संबंधित अनुभाग में किये गये उल्लेख के अनुसार, सफल बोलीदाता की बयाना राशि खरीद आदेश की स्वीकृति और निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के बाद 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी, यदि लागू हो।
4. यदि विक्रेता अपनी निविदा की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी कारण से निविदा वापस ले लेता है या उसका निविदा को संशोधित करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. बयाना राशि **"एलसी एमएस/एमएस सिस्टम के लिए निविदा, क्यूईएल, स्पाइसेस बोर्ड - 2019 के लिए"** लिखे सीलबंद लिफाफे में, स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/हाथ से निविदा के बंद होने के समय से पहले निम्नलिखित पते पर पहुंचनी चाहिए-

प्रभारी वैज्ञानिक,

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला,

स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार)

सुगंध भवन, एन.एच. बाइपास,

पालारिवट्टम पोस्ट कोच्ची - 682025

केरल

X. निविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदादाता को निविदा सूचना में बताए गए निर्देश (सामान्य निर्देश और अनुलग्नक-1 में उपकरण के तकनीकी विनिर्देशों में निर्धारित किए गए निर्देशों) का अध्ययन करने के बाद प्रस्तुत करने के लिए निविदा तैयार करनी चाहिए।
2. आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न न होने के मामले में, निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अपरिवर्तनीय मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर, निविदादाता के मुहर के साथ बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
3. निविदा के लिए आवश्यक समर्थक दस्तावेजों को केवल पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किया जाना आवश्यक है। एकाधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं, अपलोड करने के लिए एकल दस्तावेज का अधिकतम आकार 3 एमबी है। निविदा दस्तावेज अपलोड करने के अधिक निर्देशों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें। **अपलोड किए गए दस्तावेजों में पात्रता मानदंड के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज शामिल होने चाहिए, और निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक के अनुसार आवश्यक दस्तावेज भी शामिल होने चाहिए।** इन आवश्यक दस्तावेजों में से किसी के भी न होने पर निविदा गैरजिम्मेदार मानी जाएगी।
4. प्रत्येक निविदा दस्तावेज, जब तक कि वह उपकरण के ब्रोशर के रूप में अस्वीकार्य मुद्रित सामग्री नहीं है, उसे स्पष्ट रूप से शीर्षकों के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए और एक छोटी टिप्पणी होनी चाहिए, जिसमें यह बताया गया हो कि दस्तावेज को निविदा की किस आवश्यकता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अपलोड किए गए सभी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। पहले कार्य आदेशों की प्रतिलिपि और निविदादाता के पिछले प्रदर्शन के दावे का समर्थन करने वाले निष्पादन प्रमाणपत्रों के मामले में, इन्हें उस ग्राहक संस्था/संगठन द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जहां इनकी आपूर्ति और स्थापना की गई है। उसकी स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में भेजी जानी चाहिए।
5. निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य (आपूर्ति और पिछले प्रदर्शन के बारे में) के अलावा, प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। पंक्तियों के बीच कुछ भी जोड़ना, मिटाना या लिखना केवल तभी मान्य होगा जब वे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (ओं) द्वारा हस्ताक्षरित किए गये हों।

6. निविदादाता अनुलग्नक- 5 के रूप में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा और प्रकाशित निविदा के संशोधनों की प्रति, यदि कोई हो, तो निविदादाता या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जो निविदा के निबंधन व शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में संलग्न की जाएगी।
7. यदि बोलीदाता मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) का प्रतिनिधि है, तो तकनीकी बोली में ओईएम से प्राधिकरण को शामिल किया जाना चाहिए।
8. यदि किसी भी समय सौंपे गए मानकों से नीचे के तथ्यों/दस्तावेजों/उपकरणों की आपूर्ति के किसी गलत विवरण का पता चलता है, तो बोलीदाता के दायित्व और लागत पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।
9. अस्पष्ट/संदिग्ध वित्तीय शर्तों और इस तरह प्रस्तुत प्रस्ताव को गैर-उत्तरदायी कहा जाएगा और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
10. विशिष्ट अनुरोधों के स्पष्टीकरण का जवाब ई-मेल और सामान्य स्पष्टीकरण के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे सभी निविदाएं प्रभावित होंगी, जिन्हें स्पाइसेस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (www.indianspices.com) और ई-टेंडर होस्ट करने वाले एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि यह सुनिश्चित करना संभावित निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि निविदा के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण को स्पाइसेस बोर्ड में ठीक से और समय पर प्राप्त किया गया है।
11. निविदा प्रक्रिया पर कोई भी स्पष्टीकरण स्पाइसेस बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची और संपर्क नंबर 0484-2333610 (एक्सटेंशन: 329/340/338) से प्राप्त किया जाएगा।
12. निविदा में उद्धृत मूल्य सफल बोलीदाता को क्रय आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पूरे पैकेज सहित सामान के पृथक-पृथक तीन एलसी एमएस/एमएस उपकरणों की खरीद के लिए मान्य होना चाहिए।

XI. निविदा की विशिष्ट शर्तें - तकनीकी

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा वारंटी की पूरी अवधि में छह महीने के अंतराल पर एमएस/एमएस उपकरण का बड़े पैमाने पर अंशांकन किया जाना चाहिए, (बड़े पैमाने पर 6 महीने (या) में अंशांकन एक सेवा के पूरा होने के तुरंत बाद, जो भी पहले हो) किया जाना चाहिए। यह वारंटी का एक आवश्यक खंड है।

2. वैध समाधान (पीपीजी या कोई अन्य मानक समाधान, जो संपूर्ण द्रव्यमान श्रेणी को कवर करने के लिए आवश्यक है) साइट पर ले जाया जाना चाहिए और इसका उपयोग इंजीनियर द्वारा किया जाएगा, जो अंशांकन करता है, और प्रत्येक अंशांकन रिपोर्ट के साथ उपयोग किए गए समाधान के विश्लेषण का वैधता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
3. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध सहायक उपकरणों का समावेशी पूरे एलसी एमएस/एमएस सिस्टम पैकेज को पाँच वर्ष की व्यापक वारंटी में शामिल किया जाना चाहिए। व्यापक वारंटी अवधि के दौरान, दोषपूर्ण पाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त या सहायक उपकरण को निः शुल्क प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
4. व्यापक वारंटी की अवधि के दौरान, प्रत्येक ब्रेकडाउन के समय सेवा विभाग को तुरंत उपस्थित होना चाहिए और बिना देरी के टेलीफोन द्वारा समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। यदि प्रयोगशाला द्वारा महसूस किया जाता है कि किसी साइट पर जाने की आवश्यकता है, तो प्रयोगशाला द्वारा दी गई ईमेल सूचना के 24 घंटे के भीतर ऐसी यात्रा की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. 5 वर्ष की व्यापक वारंटी के अंतर्गत शामिल नहीं की जाने वाली किसी भी उपभोग्य सामग्री को परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मद जो अनुलग्नक 3 में सूचीबद्ध नहीं हैं, उन्हें आवश्यक होने पर निः शुल्क प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6. मसालों में कीटनाशक अवशेषों, माइकोटॉक्सिन और अवैध रंजक के पता लगाने योग्य स्तर के विश्लेषण के लिए उपकरण की प्रदर्शन योग्यता में प्रयोगशाला कर्मियों की विधि का विकास, मानकीकरण, सत्यापन और प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।
7. उपरोक्त शर्तों से सहमत होते हुए अनुलग्नक-10 पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

XII. एलसी एमएस / एमएस प्रणाली और प्रदर्शन सुरक्षा के लिए वारंटी

1. उपकरण स्थापित करने से पाँच वर्ष की अवधि के लिए उपकरणों की व्यापक वारंटी होगी। अनुलग्नक-10 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, बोलीदाताओं द्वारा तीन स्थापना स्थानों के लिए व्यापक वारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
2. व्यापक वारंटी में पूरी प्रणाली को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें उन सभी पुर्जों और सभी उपभोज्य को शामिल किया गया हो जो अनुलग्नक 3 में सूचीबद्ध नहीं हैं।
3. सभी वारंटी और सभी उपभोज्य सहित प्रणाली के साथ उद्धृत व्यापक वारंटी सहायक सिस्टम, जो अनुलग्नक 3 में सूचीबद्ध नहीं हैं।

4. सफल बोलीदाता को आपूर्ति किए गए प्रत्येक उपकरण के लिए अलग-अलग निष्पादन प्रतिभूतियां प्रस्तुत करनी होंगी, जो आपूर्तिकर्ता के सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों तक वैध हों, जिसमें ऊपर की प्रणालियों की वारंटी का दायित्व भी शामिल है, इसे बोली दस्तावेज़ में निर्दिष्ट उपकरण के कुल मूल्य की 20% के बराबर राशि का होना चाहिए। निष्पादन सुरक्षा केवल सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के पक्ष में एक वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीद के रूप में जमा की जानी चाहिए।
5. निष्पादन सुरक्षा में सफल निविदादाता को जारी किए गए इस निविदा/खरीद आदेश में उल्लिखित सभी नियम और शर्तें शामिल होंगी और ऊपर उल्लिखित अनुसार निष्पादन सुरक्षा की वैधता अवधि के दौरान इनमें से किसी भी स्थिति का उल्लंघन होने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा।

XIII. निविदा का प्रारूप

निविदा दो लिफाफा प्रणाली में विधिवत स्कैन और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित रूप में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी:

1. तकनीकी बोली

- क. ऑनलाइन बोली को योग्यता मानदंड/आवश्यकताओं को पूरा करने के दस्तावेजी प्रमाण के लिए लिफाफा -1 में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- ख. जमा बयाना राशि (प्रतिदेय)।
- ग. 15,000 रुपये का लेनदेन शुल्क (अप्रतिदेय, कृपया परिशिष्ट I खंड 4 देखें)।
- घ. बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सभी दस्तावेजों की शुद्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेने के लिए नीचे लिखे सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर उन्हें अपलोड करेंगे और निविदा दस्तावेज की शर्तों की स्वीकृति के संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
- ङ. पैन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।

- च. पात्रता मापदंड की पूर्ति में लेख परीक्षक द्वारा परीक्षित किए गए व्यापार और लाभ एवं हानि खाते/तुलन पत्र/ प्रमाणपत्रों की स्व सत्यापित प्रति।
- छ. यदि निविदादाता उद्धृत उपकरण का अधिकृत आपूर्तिकर्ता है और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) नहीं है, तो ओईएम से प्राधिकरण का विधिवत् हस्ताक्षरित पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ज. निविदा दस्तावेज के खंड IV, बिंदु 2 में दिए गए पात्रता मानदंडों की पूर्ति में पिछले खरीद आदेशों और पूर्णता प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां ।
- झ. प्राधिकरण प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति अर्थात् अधिकृत डीलर/वितरक/चैनल भागीदार या निर्माता के समर्थन में दस्तावेज।
- ञ. निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट 1 बी के अनुसार चिह्नित अनुपालन विवरण।
- ट. तकनीकी डाटा शीट्स को निविदा/परिशिष्ट 1ए और 1बी के अनुसार जमा किया जाना चाहिए।
- ठ. सभी अनुलग्नक, विधिवत् भरे, मुहर लगे और हस्ताक्षर किए गए हों।
- ड. यदि लिफाफा-1 अर्थात् तकनीकी बोली में उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी शामिल नहीं है या आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के अपूर्ण या अनुपयुक्त तकनीकी विनिर्देश शामिल हैं, तो प्रस्ताव को अस्वीकृति / अयोग्यता के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

तकनीकी रूप से अयोग्य प्रस्तावों से संबंधित लिफाफा -2, अर्थात् वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी। बोलीदाताओं को आगाह किया जाता है कि लिफाफा -1 (तकनीकी बोली) में कोई भी वित्तीय जानकारी को शामिल करने पर उनकी निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2. वित्तीय बोली

- क. वित्तीय बोली परिशिष्ट 9 में संलग्न प्रारूप में केवल **एमएसटीसीएल ई-कॉमर्स वेबसाइट** के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी वित्तीय जानकारी को प्रिंट में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की कोई भी घटना बोली को उत्तर न देने योग्य बना देगी।

- ख. उद्धृत मूल्य में सीमा शुल्क निकासी (यदि कोई हो) सहित सभी शुल्क शामिल होंगे। सीमा शुल्क निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज केवल स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाएंगे। स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित स्थानों पर बिना देरी और बिना सीमा शुल्क निकासी (यदि कोई है) के वितरण की व्यवस्था करना सफल बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। उपकरणों की आपूर्ति के दौरान आवश्यक सभी आकस्मिक भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा और बोलीदाता द्वारा वास्तविक चालान प्रदान करने के अधीन, बोर्ड द्वारा वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ग. आयकर, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीमा शुल्क आदि जैसे किसी भी वैधानिक प्राधिकरण को देय शुल्क के भुगतान के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा।
- घ. वित्तीय बोली को ऑनलाइन जमा करने में जो कॉलम खाली छोड़ा जाता है, उसे शून्य माना जाएगा और उपकरण के लिए उद्धृत दर में शामिल किया जाएगा।
- ङ. दरों को सख्ती से, दिए गए प्रारूप में उद्धृत किया जाना चाहिए और बाद में किसी भी परिणाम/विसंगतियों से बचने के लिए स्थान विशेष के सभी करों, अधिभारों, प्रवेश कर, वैधानिक शुल्क, बीमा, परमिट शुल्क, पी एंड एफ शुल्क, माल ढुलाई आदि (क्रेता देयता सहित, यदि कोई हो) से संबंधित सीआईएफ शुल्क को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, सभी लागू कर और शुल्कों का आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके चालान में आपूर्ति के समय स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को अपने चालान के साथ सभी वास्तविक भुगतानों के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए।
- च. जो निविदादाता निर्धारित तिथि और समय के भीतर तकनीकी बोली (लिफाफा 1) जमा नहीं करते हैं, उन्हें उत्तर न देने योग्य माना जाएगा।
- छ. यदि उपर्युक्त खण्डों की आवश्यकता के अनुसार बोलियाँ प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, तो स्पाइसेस बोर्ड प्रस्ताव के विस्थापन और परिणामी अस्वीकृति की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

XIII. निविदा दस्तावेजों में संशोधन

1. किसी भी कारण से, निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, निविदा दस्तावेज को संशोधनी/अनुशेष द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. शुद्धिपत्र/अनुशेष ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट (<http://mstcecommerce.com>) और स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) पर प्रकाशित किया जाएगा।
3. निविदादाता द्वारा प्रकाशित निविदा और दस्तावेज के निबंधन व शर्तों को पढ़ने और स्वीकार किए जाने के प्रमाण के रूप में निविदादाता या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकाशित शुद्धिपत्र /अनुशेष की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि को तकनीकी बोली के भाग में प्रस्तुत किया जाएगा।

XIV. निविदाओं की जमा करना और खोलना

1. बोली 25-12-2019 की नियत तिथि को शाम 5:30 बजे तक केवल वेबसाइट <http://mstcecommerce.com> पर ऑनलाइन जमा की जानी चाहिए। ई-टेंडर वेबसाइट पर दिखाई देने वाली सर्वर तिथि और समय को केवल बोलियों को जमा करने की निर्धारित तारीख और समय के लिए माना जाएगा। पोस्ट, टेलीग्राम, फैक्स, टैलेक्स, ई-मेल और कूरियर या किसी अन्य मोड के माध्यम से भेजे गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. तकनीकी बोली 26-12-2019 को सुबह 10 बजे खोली जाएगी। बोली खोलने की तारीख को छुट्टी घोषित होने पर, निविदा अगले कार्य दिवस को उसी समय खोली जाएगी।
3. केवल उन बोलीदाताओं को योग्य माना जाएगा जो अपेक्षित बयाना राशि जमा करते हैं और निविदा दस्तावेज के सभी निबंधन व शर्तों को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तथा निविदा दस्तावेज में निर्धारित योग्यता आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस संबंध में स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
4. निविदादाता अपनी बोली की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, और स्पाइसेस बोर्ड किसी भी मामले में निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना किसी भी कीमत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
5. निविदा दस्तावेज के किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले संभावित बोलीदाता, निविदाएं प्रस्तुत करने की समय सीमा से 07 (सात) दिन पहले तक स्पाइसेस बोर्ड से 0484-2333610 (एक्स. 329, 340 और 338)/ rameshbabu.n@nic.in पर एक ही फोन/ईमेल कर प्राप्त कर सकता है। यदि मद के संबंध में बोलीदाता को किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विनिर्देश परिभाषित नहीं हैं या यदि किसी विनिर्देश के बारे में कोई संदेह है, तो बोलीदाता स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध

भवन, पलारीवट्टोम, कोच्ची- 682025, केरल में व्यक्तिगत रूप से प्रमुख कार्यालय जा सकता है। हालाँकि, यह निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय सीमा को विस्तारित करने का दावे का कारण नहीं बनेगा।

6. स्पाइसेस बोर्ड संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा और यह निविदाओं को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा के विस्तार का दावा करने का कारण नहीं बनेगा।

XV. निविदा का मूल्यांकन

1. बोर्ड द्वारा गठित एक बोली मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के वाणिज्यिक नियमों और तकनीकी पहलुओं की जांच की जाएगी।
2. बोली मूल्यांकन समिति प्रस्तावित उपकरणों के ज्ञात प्रदर्शन, इस क्षेत्र में निविदादाता के अनुभव और प्रतिष्ठा, वित्तीय शोधन क्षमता आदि के संबंध में दावों की सत्यता की पुष्टि करेगी।
3. क्या निविदाएँ उत्तरदायी या गैर-उत्तरदायी हैं या उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, संबंधित बोलीदाताओं को निविदा मूल्यांकन समिति के निर्णय से सूचित किया जाएगा।
4. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा बोली मूल्यांकन समिति के निर्णयों की जांच की जाएगी।
5. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सत्यापन के बाद प्रस्ताव के दावों के संबंध में, तथ्यों के छिपाने या गलत बयानी में लिप्त होना पाए जाने की स्थिति में, निविदा प्रक्रिया या उसके बाद किसी भी स्तर पर निविदादाता को बर्खास्त/काली सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
6. प्रस्तुत की गई निविदा पर स्पाइसेस बोर्ड का निर्णय विभिन्न समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों और अन्यथा उपर्युक्त खंडों के अनुसार होंगे।
7. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा: यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में उल्लिखित राशि प्रबल होगी और प्रस्ताव को उसके अनुसार सही किया जाएगा। यदि निविदादाता त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है, तो उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाएगा। स्पाइसेस बोर्ड किसी भी प्रस्ताव में एक सामग्रिक विचलन नहीं करने वाली किसी भी गैर-अनुरूपता

या अनियमितता को माफ कर सकता है, बशर्ते कि वह अन्य निविदाकारों के हित को प्रभावित न करे।

8. परिष्कृत उपकरणों के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाता है तो बोर्ड तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने से पहले बोलीदाता की अनुप्रयोग की अपनी प्रयोगशाला में बोलीदाता के तकनीकी दावों के सत्यापन का निर्णय ले सकता है।

XVI. तकनीकी बोली का मूल्यांकन - अंक देने का तरीका

| क्र.सं. | प्राप्तांक मानदंड | अधिकतम अंक |
|---------|---|------------|
| 1 | स्पाइसेस बोर्ड के अलावा भारत में कहीं भी उद्धृत मॉडल (खाद्य परीक्षण) की स्थापना की संख्या(1 अंक/स्थापना) | 8 |
| 2 | मसाले और मसाला उत्पादों में अनुप्रयोग का समर्थन- तकनीकी साहित्य की उपलब्धता। किसी भी मसाले/मसाले के उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों, अवैध रंजक और मायकोटॉक्सिन के विश्लेषण के लिए उद्धृत उपकरणों के सहकर्मों द्वारा समीक्षित कागजात/ अनुप्रयोग टिप्पणी। प्रति कागजात/ अनुप्रयोग टिप्पणी पर एक अंक। | 10 |
| 3 | 24x7 ऑनलाइन/टेली समर्थन सेवा। (हाँ के लिए -5 अंक, नहीं के लिए-0 प्वाइंट) | 5 |
| 4 | जहाँ प्रयोगशालाएं हैं (केरल, तमिलनाडु, कोलकाता) उन राज्यों में एक सेवा केंद्र की उपलब्धता- 2 अंक प्रत्येक, भारत में अनुप्रयोगों को समर्पित एक समर्थन प्रयोगशाला की उपलब्धता - 4 अंक। | 10 |
| 5 | उद्धृत मॉडल के लिए सेवा इंजीनियरों और अनुप्रयोग विशेषज्ञों की संख्या - परिशिष्ट 6 देखें - राज्यवार (केरल, तमिलनाडु, कोलकाता) (प्रति इंजीनियर एक अंक, अधिकतम 7 के अधीन) | 7 |
| 6 | अनुलग्नक 7 के अनुसार तकनीकी अनुपालन। 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और जब सभी आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं के लिए बोली पात्र हो जाएगी तब उसे अंक दिये जाएंगे। वांछनीय के रूप में | 40 |

| | | |
|---|---|-----|
| | चिह्नित आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए, 10 अंक दिये जाएंगे। | |
| 7 | अनुलग्नक-8 के अनुसार प्रदर्शन मूल्यांकन डेटा का मूल्यांकन। आवश्यकता मानदंड से कोई भी विचलन इस अंक को रोक देगा। | 20 |
| | कुल | 100 |

बोली को केवल अनुलग्नक 1 ए, बी, सी में वांछनीय के रूप में चिह्नित की गई आवश्यकताओं की बजाय अनिवार्य रूप से प्रत्येक तकनीकी आवश्यकताओं के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी, जिसके बिना बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा। केवल तकनीकी बोली के मूल्यांकन में 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वालों की वित्तीय बोली पर विचार किया जाएगा।

XVII. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन

1. तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद केवल तकनीकी रूप से योग्य निविदादाता की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएंगी।
2. वित्तीय बोली को स्पाइसेस बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा ऑनलाइन खोला जाएगा।
3. निविदादाता इस निविदा दस्तावेज में शामिल वित्तीय बोली प्रारूप को परिशिष्ट 6 के रूप में संदर्भित करेगा और संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय बोली लगाएगा और उसे ऑनलाइन जमा किया जाएगा। किसी भी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत वित्तीय बोलियों को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और सारणीकरण और तुलना में शामिल नहीं किया जाएगा।
4. प्रस्तुत की गई वित्तीय बोली में सब कुछ समाविष्ट होगा, और यह भारतीय या विदेशी मुद्रा में दर उद्धृत करने के विकल्प के साथ होगी। वित्तीय तुलना वित्तीय बोली खोलने की तारीख की, सुबह भारतीय मुद्रा में ऊपर की मुद्राओं की विनिमय दरों पर आधारित होगी।
5. वित्तीय बोली में सामानों की आपूर्ति, स्थापना, प्रशिक्षण और सफल कमीशनिंग और वारंटी/गारंटी की पूर्ति तथा बोर्ड की संतुष्टि के लिए बिक्री के बाद की सेवा को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6. निविदादाता द्वारा उद्धृत वित्तीय दर को अनुबंध की पूरी अवधि के लिए तय किया माना जाएगा और किसी भी प्रकार से भिन्नता के अधीन नहीं होगी।
7. उचित दस्तावेजों की प्राप्ति पर खरीद आदेश जारी करने से पहले चल रही अनुबंध की अवधि के दौरान सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीमा शुल्क सहित वैधानिक परिवर्तनों के कारण वित्तीय भिन्नता स्वीकार की जाएगी।
8. कोई छिपी हुई लागत नहीं होगी।
9. निविदाकार उपलब्ध स्वरूपों में सभी आवश्यक क्षेत्रों में वित्तीय उद्धरण देगा (परिशिष्ट 9)।
10. निविदादाता संबंधित तकनीकी विशिष्टताओं में उल्लिखित सभी सामानों के समावेशी दर की वित्तीय पेशकश करेंगे और किसी भी परिस्थिति में वैकल्पिक या छोड़ दिये गये, ऐसे आवश्यक सामान की पेशकश नहीं करेंगे, जिसके बिना सामान ठीक से काम नहीं कर सकता ।

XVIII. खरीद आदेश और भुगतान की शर्तें

1. निविदा बोली के प्रसंस्करण के बाद सफल बोलीदाता को खरीद आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें निविदा के निबंधन व शर्तें शामिल होंगी। इसके बाद बोलीदाता स्पाइसेस बोर्ड को क्रय आदेश के निबंधन व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि के साथ, इसकी स्वीकृति जमा करेगा।
2. इसके पश्चात्, बोली लगाने वाला अनुभाग XII, बिंदु 4 में दिये गये विवरण के अनुसार प्रत्येक उपकरण के लिए निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करेगा। निष्पादन सुरक्षा की प्राप्ति और पुष्टि के बाद ही स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भुगतान जारी किया जाएगा।
3. भुगतान अनुबंध में निर्दिष्ट मुद्रा/मुद्राओं में किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता उचित भुगतान प्राधिकरण को भुगतान का दावा (संबंधित दस्तावेजों के साथ, आवश्यकतानुसार) भेजेगा, जिसे जारी किए गए खरीद आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता किसी भी भुगतान का दावा करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान के विधिवत पूरे होने का दावा करने के लिए सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा किया गया है।
4. भुगतान निम्नलिखित तरीके से और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा:

क. विदेशों से आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और विदेशी मुद्रा में उद्धृत भुगतान:
भेजे जाने पर: निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करने पर भारत में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में स्थापित क्रेडिट के अपरिवर्तनीय पत्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा में उद्धृत कुल कीमत का 80% भुगतान किया जाएगा:

- i. आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वाणिज्यिक चालान में आपूर्ति की गई वस्तुओं की अनुबंधित संख्या का विवरण, इसकी मात्रा, इकाई का मूल्य और आपूर्ति किए गए सामानों के खेप(पों) का कुल मूल्य और नाम शामिल होगा।
- ii. माल ढुलाई पूर्व-भुगतान के साथ चिह्नित अवतरण का मूल ऑन-बोर्ड बिल, भेजने वाले देश का अंतरिम/बंदरगाह, माल का विवरण, मात्रा, अनुबंध के बारे में प्रासंगिक विवरण ।
- iii. पैकिंग सूची, प्रत्येक पैकेज की सामग्री की पहचान
- iv. बीमा पॉलिसी या मुद्रा में क्रेडिट के पत्र में भारत में देय दावे के साथ दो प्रतियों में खाली में समर्थित किया प्रमाण पत्र।
- v. निर्माता/आपूर्तिकर्ता के वारंटी प्रमाणपत्र और आपूर्तिकर्ता के कारखाने की निरीक्षण रिपोर्ट।
- vi. **उदगम प्रमाण पत्र**
- vii. आपूर्तिकर्ता का प्रमाणपत्र इसकी पुष्टि करता है कि चालान में दर्शाई गई राशि अनुबंध के संदर्भ में सही है और इस भुगतान का दावा करने के लिए अनुबंध के सभी निबंधनों व शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- viii. आपूर्तिकर्ता को जारी किए गए भेजने/खरीद आदेश के निबंधन व शर्तों में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज (ओं) और/या उपरोक्त दस्तावेजों का संशोधन।

ख. अंतिम स्वीकृति पर: निविदा की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी मापदंडों पर वितरण, स्थापना, प्रदर्शन, निष्पादन योग्यता के साथ अनुबंध के संतोषजनक रूप से पूरा होने के बाद 30 (तीस) दिनों के भीतर विदेशी मुद्रा में उद्धृत वस्तुओं के अनुबंधित मूल्य के शेष 20% का भुगतान किया जाएगा और स्पाइसेस बोर्ड प्रयोगशाला (प्रयोगशालाओं) के कर्मचारियों को प्रशिक्षण, जिसमें

संपूर्ण एलसी एमएस/एमएस प्रणाली और सिस्टम के साथ आपूर्ति किए गए सभी सामान शामिल हैं, जिनमें भारतीय रुपए में उद्धृत दरें भी शामिल हैं।

ग. एजेंसी कमीशन का भुगतान (यदि कोई हो): ऊपर [ख अंतिम स्वीकृति पर] निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के पूरा होने पर 30 (तीस) दिनों के भीतर भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा।

घ. भारत से आपूर्ति किए गए माल का और भारतीय रुपए में उद्धृत भुगतान: ऊपर [ख अंतिम स्वीकृति पर] निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के पूरा होने पर 30 (तीस) दिनों के भीतर भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा।

5. क्रेडिट के पत्र का संचालन: पत्र के माध्यम से प्रभावित भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के नवीनतम एकीकृत परंपरा एवं व्यवहार दस्तावेजी उधार के अधीन होंगे। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है, तो क्रेडिट पत्र की पुष्टि की जाएगी, लेकिन उसकी लागत आपूर्तिकर्ता के खाते में की जाएगी।

6. आपूर्तिकर्ता के निष्पादन में देरी:

क. आपूर्तिकर्ता सामानों की आपूर्ति करेगा और खरीददार द्वारा जारी किए गए खरीद आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर अनुबंध के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करेगा, और उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा। सामानों की सुपुर्दगी और सेवाओं के निष्पादन के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों को बनाए रखने में आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की अकारण देरी आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित में से किसी या सभी प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी करेगी (i) तरल क्षति का आरोपण, (ii) इसके निष्पादन सुरक्षा की जब्ती और (iii) चूक के लिए अनुबंध की समाप्ति।

ख. यदि किसी भी समय अनुबंध की मुद्रा में, आपूर्तिकर्ता सामानों की समय पर डिलीवरी और सेवाओं के प्रदर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का सामना करता है, तो आपूर्तिकर्ता तुरंत खरीददार को लिखित रूप में उसके बारे में सूचित करेगा और आपूर्ति की संभावित अवधि के बारे में सूचित करेगा और क्रेता से वितरण कार्यक्रम को तदनुसार विस्तारित करने का अनुरोध करेगा। आपूर्तिकर्ता के संचार प्राप्त करने पर, खरीददार जितनी जल्दी हो सके स्थिति की जांच करेगा और अपने विवेक से अनुबंध में संशोधन जारी करके आपूर्तिकर्ता के अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने या उसके बिना तरल नुकसान के साथ वितरण अनुसूची का विस्तार करने के लिए सहमत हो सकता है।

ग. जब आपूर्तिकर्ता द्वारा अस्पष्टीकृत विलंब के कारण वितरण की अवधि बढ़ाई जाती है, तो वितरण अवधि बढ़ाने वाले संशोधन पत्र में, अन्य के साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल होती हैं: (क) आपूर्तिकर्ता के अनुबंध में निर्धारित अवधि के भीतर माल वितरित करने में विफल रहने पर खरीददार आपूर्तिकर्ता से, माल और सेवाओं पर तरल नुकसान वसूल करेगा। (ख) किसी भी अन्य जमीन पर कीमत में वृद्धि के लिए अनुबंध में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या बिक्री के खाते में वैधानिक वृद्धि या ताजा प्रतिबंध सहित किसी भी शर्त के साथ किसी भी आधार पर मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जो अनुबंध में निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में लगाए जाने वाले कोई अन्य कर या शुल्क, जो अनुबंध में निर्धारित की गई आपूर्ति की तारीख के बाद लगता है, उक्त वस्तुओं और सेवाओं के वितरण और निष्पादन के बाद स्वीकार्य होगा। (ग) इसके बावजूद, अनुबंध में निर्धारित डिलीवरी की तारीख की समाप्ति के बाद की गई आपूर्ति पर, स्पाइसेस बोर्ड सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या किसी अन्य शुल्क या कर या लेवी या किसी अन्य आधार पर, मूल्य में किसी भी कमी का लाभ लेने का हकदार होगा।

7. आपूर्तिकर्ता को वितरण अवधि की समाप्ति के बाद माल नहीं भेजना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को वितरण अवधि के विस्तार के लिए स्पाइसेस बोर्ड में आवेदन करने और प्रेषण से पहले उसे प्राप्त करना आवश्यक है। यदि आपूर्तिकर्ता बिना विस्तार प्राप्त किए माल भेज देता है, तो वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा और ऐसी आपूर्ति के लिए और/या ऐसी आपूर्ति से संबंधित किसी अन्य व्यय के लिए स्पाइसेस बोर्ड से भुगतान का कोई दावा नहीं करेगा।
8. **परिसमापन हर्जाना:** यदि आपूर्तिकर्ता किसी भी या सभी सामानों को वितरित करने में विफल रहता है या अनुबंध में शामिल समय सीमा (ओं) के भीतर सेवाओं को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो क्रेता अनुबंध के अंतर्गत क्रेता को उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अनुबंधित मूल्य से, तरल क्षति के रूप में, विलंबित वस्तुओं और/या सेवाओं की प्रत्येक सप्ताह की देरी या उसके अंश के एससीसी में निर्धारित प्रतिशत के बराबर राशि, अधिकतम कटौती के अधीन वास्तविक वितरण या प्रदर्शन तक, विलंबित वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध मूल्य (यों) के एससीसी में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार कटौती करेगा।